उत्तराखण्ड सरकार
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
(क्षेत्र प्रचार प्रभाग)
संख्याः 62 सू0एवंलो0सं0वि.(क्षे.प्र.)48 / 2004
देहरादून दिनांकः 27 सितम्बर, 2011
मार्च

कार्यालय आदेश

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–459 / सू0एवंलो0सं0वि.(क्षे.प्र.)48 / 2004 दिनांक –14 सितम्बर, 2004 के माध्यम से जिला सूचना केन्द्रों में कार्यरत संरक्षकों / डाटा एंट्री आपरेटरों की परस्पर अनन्तिम ज्येष्ठता सूची परिचालित / निर्गत करते हुये हितबद्ध कर्मचारियों से इस सम्बन्ध में आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। जिसके क्रम में निम्नलिखित सात कर्मचारियों ने आपत्ति करते हुए ज्येष्ठता सूची में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया है।

2– उपरोक्तानुसार निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के कम में जिन कर्मचारियों द्वारा आपत्तियां प्रेषित की गई हैं, उसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1– **श्री शक्ति मोहन बिजल्वाण संरक्षक / डाटा एंट्री आपरेटर** ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक–30.12.2004 में कथन किया है कि वे 26 वर्ष से एक ही वेतनमान में कार्यरत है। उन्होंने ज्येष्ठता प्रथम नियुक्ति के आधार पर निर्धारित करने का अनुरोध किया है।

2– **श्रीमती हंसी रावत संरक्षक / डाटा एंट्री आपरेटर** ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक–23.12.2004 में कथन किया है, कि उनकी नियुक्ति दिनांक– 16 अगस्त, 1985 को रेडियो लिपिक के पद पर हुई थी। वह अपने नियुक्ति तिथि से एक ही वेतनमान में कार्यरत है। विभागीय पुनर्गठन के फलस्वरूप उन्हे 1991 में कनिष्ठ लेखा लिपिक तथा वर्ष 2001 में संरक्षक / डाटा एंट्री आपरेटर के पद पर समायोजित किया गया। श्रीमती रावत के अनुसार एक ही वेतनमान में पृथक–पृथक संवर्ग के नियुक्त कर्मियों की एक ही तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किया जाना और वर्ष 1991, 1999 व 2000 में संरक्षक पद पर नियुक्त कर्मियो को ज्येष्ठता सूची में वरीयता देते हुए क्रमांक–1,2,3 पर रखा जाना उचित नही है।

3– **श्री राजेन्द्र सिंह परिहार संरक्षक / डाटा एंट्री आपरेटर** ने अपने प्रत्यावदेन दिनांक–11.01.2005 में कथन किया है कि उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 7 अगस्त, 1985 से एक ही वेतनमान 354–550 (3050–4590) में कार्यरत हूँ। अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–2 पर अंकित श्री गोविन्द सिंह बिष्ट तथा क्रमांक–3 पर अंकित श्री गिरिजा शंकर जोशी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1999 व 2000 में हुई है। उक्त दोनो कर्मचारियों को वरिष्ठता कम में ऊपर दर्शाया गया है जबकि मुझे वरिष्ठता कम में नीचे स्थान दिया गया है जो न्याय संगत नहीं है।

4– **श्री गजपाल सिंह भट्ट संरक्षक / डाटा एंट्री आपरेटर** अपने प्रत्यावेदन दिनांक 17–02–2007 में कथन किया है कि उनकी नियुक्ति 19 अगस्त, 1985 को रेड़ियो निरीक्षक के पद पर वेतनमान 3050–4590 मे हुई थी। उनकी मौलिक नियुक्ति के आधार पर ज्येष्ठता का निर्धारण किया जाए।

5– **श्री शमशेर चन्द्र संरक्षक / डाटा एंट्री आपरेटर** ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक–22.12.2004 में कथन किया है कि उनकी नियुक्ति 1986 में रेड़ियो निरीक्षक के पद पर हुई थी, विभागीय पुनगर्ठन के फलस्वरूप उन्हें 1991 में कनिष्ठ लेखा लिपिक तथा वर्ष 2001 में संरक्षक / डाटा एंट्री आपरेटर के पद पर समायोजित किया गया था, लगभग–21 वर्ष से वह एक ही वेतनमान मे कार्यरत है पद परिवर्तित करते समय उनसे कोई प्रत्यावेदन भी नही मांगा गया था उन्हें प्रथम कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता निर्धारण किया जाय।

6– **श्रीमती कमला नेगी संरक्षक / डाटा एंट्री आपरेटर** ने अपने प्रत्यादेवन दिनांक–27.12.2004 में कथन किया है कि पृथक–पृथक संवर्ग में कर्मियो की एक ही तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किया जाना और वर्ष–1991 व 2000 में संरक्षक पद पर नियुक्त कर्मचारियों को ज्येष्ठता सूची में वरीयता देते हुये क्रमांक–1,2,3 पर रखना यथोचित नहीं है।

7– **श्री धरम पाल संरक्षक / डाटा एंट्री आपरेटर** ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक–27.12.2004 में कथन किया है कि उन्हें 01 दिसम्बर,1993 को सिनेमा आपरेटर / प्रचार सहायक वेतनमान (3050–4590) के पद पर पद्दोन्नत किया गया था, उन्होंने अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक– 2, 3 पर अंकित श्री गोविन्द सिंह बिष्ट तथा श्री गिरिजा शंकर जोशी को उनके ऊपर ज्येष्ठता क्रम में स्थान देने पर आपत्ति की है।

3. श्री शक्ति मोहन बिजल्वाण, श्रीमती हंसी रावत, श्री राजेन्द्र सिंह परिहार, श्री गजपाल सिंह भट्ट, श्री शमशेर चन्द्र, श्रीमती कमला नेगी तथा श्री धरमपाल, द्वारा उपरोक्तानुसार की गई आपत्ति के सम्बन्ध में शासन से परामर्श मांगा गया था। शासन द्वारा शासनादेश संख्या–290/xxii/2010/01(4) 2007 दिनांक 12.08.2010 के माध्यम से परामर्श दिया गया है कि संरक्षक/डाटा एंट्री आपरेटर के पद पर पूर्व से कार्यरत कार्मिक मौलिक रूप से नियुक्त होने के कारण वरिष्ठता में ऊपर स्थान पर तथा समायोजित कर्मियों को उनके बाद रखा जाय। समायोजित कर्मियों की आपसी वरिष्ठता उनके संवर्ग/पदों के अनुसार निर्धारित की जाय।

4. चूंकि उपरोक्त कार्मिकों का समायोजन दूसरे संवर्ग से संरक्षक/डाटा इन्ट्री आपरेटर संवर्ग में किया गया जबकि श्री एलम सिंह पंवार, श्री गोबिन्द सिंह बिष्ट तथा श्री गिरिजा शंकर जोशी पूर्व से ही मूल संवर्ग में कार्यरत हैं। अतः उपरोक्त कार्मिकों द्वारा कथित आपत्तियां तथ्यहीन/निराधार होने के कारण निरस्त की जाती हैं।

अतः सम्यक विचारोपरान्त प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण उपरोक्तानुसार करते हुए जिला सूचना कार्यालयों/सूचना केन्द्रों में कार्यरत संरक्षक/डाटा एंट्री आपरेटरों की अन्तिम पारस्परिक ज्येष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति/समायोजन/प्रोन्नति की तिथि
1	श्री एलम सिंह पंवार	10.07.1957	30.01.1991
2	श्री गोबिन्द सिंह बिष्ट	06.06.1970	14.09.1999
3	श्री गिरिजा शंकर जोशी	22.03.1974	09.02.2000
4	श्री शक्ति मोहन बिजल्वाण	06.05.1958	25.09.2001
5	श्रीमती हंसी रावत	12.07.1962	25.09.2001
6	श्री राजेन्द्र सिंह परिहार	01.07.1958	25.09.2001
7	श्री गजपाल सिंह	04.08.1959	25.09.2001
8	श्री शमशेर चन्द	10.05.1956	25.09.2001
9	श्रीमती कमला नेगी	12.12.1953	25.09.2001
10	श्री धरमपाल	15.08.1958	25.09.2001
11	श्री मद्महेश्वर प्रसाद शुक्ला	19.03.1963	25.09.2001
12	श्री रतिलाल	17.04.1969	25.09.2001
13	श्री कृपाल लाल	05.07.1972	25.09.2001
14	श्रीमती भजनी	14.08.1976	01.11.2006

(विनोद शर्मा)
महानिदेशक

संख्या (1)सू.एवं.लो.सं.वि.(क्षे.प्र.)48/2004 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, सूचना उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड
3. सम्बन्धित कर्मचारियों को।
4. सम्बन्धित कर्मचारियों की निजी पत्रावली हेतु।

(डा0 अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक